(3) संलग्नक-(8/1)

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 3832/2–1 ,अलीगढः दिनांकः ~~अप्रैल,~~ मई 03 ,2019

सेवा में,

श्री परसराम, माली
हरदुआगंज बीट, अलीगढ़ रेंज।

विषयः कारण बताओ नोटिस।
द्वाराः क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज।

आप अलीगढ़ रेंज में प्रभारी हरदुआगंज बीट के रूप में आपकी तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470, तहसील–कोल में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा आपत्तियां लगायी गयी हैं। **प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।** प्रस्तावित स्थल के पुनः अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण दिनांक 20.02.2019 के दौरान पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही उक्त प्रस्तावित स्थल पर सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य कर लिया है।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा उक्त संरक्षित वन पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु प्रयास नहीं किया। जिसके कारणवश प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया।

इस प्रकरण में आप अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि क्यों प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कराये गये निर्माण कार्य एवं वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु सफल प्रयास नहीं किया गया ६ उक्त कार्य समयवद्ध है, उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित समय में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय निर्णय लेने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। जिसके लिये आप स्वय उत्तरदायी होगें।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांकः 3832/2–1 समदिनांकित।
प्रतिलिपि– क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज को पत्र की 2 प्रति इस आशय से प्रेषित कि आप एक प्रति कर्मचारी को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय को लौटती डाक से उपलब्ध करायें।

(एस0डी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh
28.10.2022

C:\Users\ak\Documents\D.Man-I\Land Transfer Projects\Retail Outlets\Pending\No Inprinciple\Petrol Pump Ukhlana\CA Scheme.doc

8/2

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

ई-मेलः cfaligarh@gmail.co

पत्रांक / 1537 /2-1, दिनांकःअलीगढ़ःअक्टूबर, 30 ,2019

सेवा में,

श्री इन्द्रजीत सिंह, वनविद्
धनीपुर सेक्शन, अलीगढ़ रेंज।

द्वाराः– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

विषयः– **कारण बताओ नोटिस।**

आप अलीगढ़ रेंज में सेक्शन प्रभारी धनीपुर सेक्शन के रूप में आपकी तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0–1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके क्रम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में पायी गयीं कमियों के निराकरण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा लिखा गया है। प्रस्ताव में **"प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।"** जिसके क्रम में प्रस्तावित स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास व क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

उक्त प्रकरण प्रकाश में आने पर रेंज एच–2 केस संख्या–32/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों में उक्त पारेषण लाइन के निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। आपके द्वारा अपने

प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh
28.10.2022

8/3

...ीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पठनीय होंगे।

लिखित साक्ष्यः–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.11.2015 की छायाप्रति।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.10.2019 की छायाप्रति।
3. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोरबाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 21.01.2018 की छायाप्रति।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 1437 /2–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति वनविद् को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh
२8·10·२०२२

E.C.Branch/Karan Batao notice/com-II

ई–मेलः cfaligarh@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1438 /2–1, दिनांकःअलीगढ़ःअक्टूबर, 30 ,2019

सेवा में,

श्री वेदप्रकाश,
उप क्षेत्रीय वन अधिकारी (नि0),
सम्बद्ध– कार्यालय कासगंज वन प्रभाग,
कासगंज।

द्वाराः– प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

विषयः– **कारण बताओ नोटिस।**

आपकी अलीगढ़ रेंज में प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज के रूप में तैनाती अवधि में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कर लिया गया है। प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करने के संबंध में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 को मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन प्रदर्शित नहीं था, जिसके कम में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रस्ताव उच्च स्तर को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया।

प्रस्ताव में पायी गयीं कमियों के निराकरण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा लिखा गया है। प्रस्ताव में **"प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है।"** जिसके कम में प्रस्तावित स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, इगलास व क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा की गयी, जिसमें पाया गया कि एस्सार ऑयल लि0 द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के रिटेल आउटलेट को आने–जाने वाले प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि में पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

उक्त प्रकरण प्रकाश में आने पर रेंज एच–2 केस संख्या–32/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 द्वारा केस दर्ज किया गया है। उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों में उक्त पारेषण लाइन के निर्माण में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग को रोके जाने हेतु कोई प्रयास तथा कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण प्रयोक्ता

E.C.Branch/Karan Batao notice/com-II

प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh
29.10.2022

815

एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य कर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर लिया गया। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का परमसत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से निर्वहन न करने व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु दोषी है।

उक्त की पुष्टि हेतु निम्न साक्ष्य पढ़नीय होंगे।

लिखित साक्ष्यः–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.11.2015 की छायाप्रति।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 23.10.2019 की छायाप्रति।
3. भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोरबाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 की छायाप्रति।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट की छायाप्रति।

उपरोक्त के संबंध में आप अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह मानते हुए कि आपको उक्त प्रकरण में कुछ नहीं कहना है। तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 1438 /2–1 समदिनांकित।
प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज को पत्र की 2 प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति प्रभारी उप क्षेत्रीय वन अधिकारी (नि0) को प्राप्त कराकर प्राप्ति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(वी0के0 मिश्र)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh
२8·10·२०२२

E.C.Branch/Karan Batao notice/com-II